

सं. 14036/623/2013-यू टी पी

भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 20.11.2013

सेवा में

पुलिस उपायुक्त
लोक सूचना अधिकारी
पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्रीमती वसीला सैफी द्वारा मांगी गई सूचना।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत ऊपर उल्लिखित दिनांक 14.10.2013 के आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 21.10.2013 को प्राप्त) का हवाला देने एवं यह कहने का निदेश हुआ है कि आर टी आई आवेदन की विषय-वस्तु दिल्ली पुलिस से संबंधित है, अतः, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत उपयुक्त कार्रवाई करने एवं अपेक्षित सूचना सीधे आवेदक को उपलब्ध कराने हेतु इसे आपको अंतरित किया जा रहा है।

भवदीय,

चित्रा नारायण

(चित्रा नारायण)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं
अवर सचिव (दिल्ली पुलिस-11)

संलग्नक: यथोपरि

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1.

श्रीमती वसीला सैफी, म. नं. 100, निहाल विहार, नियर दिलेर मेहन्दी फार्म हाउस, सामने विज पैलेस, नांगलोई, दिल्ली। चूंकि आपके आवेदन की विषय-वस्तु दिल्ली पुलिस से संबंधित है, अतः अपेक्षित सूचना आपको उपलब्ध कराने हेतु आपका आवेदन दिल्ली पुलिस को अंतरित कर दिया गया है।

इस उत्तर के संबंध में, अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री इकबाल सिंह चहल, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

90

As per internet
08/56
21/11